मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

क्र. – 9917 / **NREGS-MP** / **NR-5** / 09 भोपाल, दिनांक 03 / 08 / 2009

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला – .... समस्त 50 जिलें (मध्यप्रदेश)।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण बाबत्।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्र. – 8968 / **NREGS-MP** / **NR-6** / 09 भोपाल, दिनांक 11 / 07 / 2009

––––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पत्रानुसार निर्देशित कार्यो पर निम्नानुसार व्यय सीमा का पालन किया जाऐं।

क्र.	निर्देश	अनुमानित कार्य	व्यय
1.	ग्राम पंचायत के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण से 15 दिन पूर्व समस्त आवश्यक जानकारियों की फोटो प्रतियां सामाजिक संपरीक्षा समिति को उपलब्ध कराना।	प्रतिलिपि – 1	फोटोकॉपी – कलेक्टर रेट से अधिक न हो।
2.	सामाजिक संपरीक्षा समिति से समस्त अभिलेखों / सूचनाओं का सत्यापन और किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यो के संबंध में समिति को जानकारी देने की व्यवस्था कराना।	प्रतिलिपि – 1	फोटोकॉपी – कलेक्टर रेट से अधिक न हो।
3.	जनप्रतिनिधियों और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित शासकीय सेवकों को लिखित में अग्रिम रूप से सूचित किया जाए ताकि वे भी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग ले सके।	डाक व्यय	
4.	सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा प्रतिवेदन का ग्रामसभा में वाचन हो इसके साथ ही ग्राम पंचायत और शासकीय अधिकारियों से आमजन द्वारा सूचना और जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था करना।	प्रतिलिपि – 1 मुनादी	फोटोकॉपी – कलेक्टर रेट से अधिक न हो।
5.	पूर्व में हुए सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के वाचन की व्यवस्था करना।	माइक / लाउड स्पीकर	
6.	सामाजिक अंकेक्षण का कार्यवाही विवरण का अभिलेखन सचिव द्वारा कराया जाना और अंकेक्षण के पूर्व और उपरांत ग्रामसभा के प्रतिभागियों से हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था कराना।	स्टेशनरी	फोटोकॉपी – कलेक्टर रेट से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

7.	सामाजिक अंकेक्षण कार्य में प्रेक्षक के रूप में आमजन के भाग लेने की व्यवस्थाऐं करना।	दरी / शासकीय सामुदायिक भवन–ग्राम पंचायत / छायादार स्थान	
8.	नोडल अधिकारी को सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए।	1. 2 चाय, नाश्ता, खाना एवं आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री 2. बैठक व्यवस्था, माईक, हॉल	प्रति व्यक्ति 100 / – के मान से 1000 / –
9.	सामाजिक अंकेक्षण में प्रस्तुत / निरीक्षण के लिए सत्यापित दस्तावेजों की उपलब्धता की व्यवस्था करना।	प्रतिलिपि – 1	फोटोकॉपी – कलेक्टर रेट से अधिक न हो।
10.	ऐसी ग्राम पंचायतें, जिन्होनें माह जनवरी 2009 से माह जुलाई 2009 तक 10 लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्य किए है, उनमें सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।		चुनाव कार्य में कराई वीडियोग्राफी के लिए निर्धारित दर से अधिक न हो।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्र. 9918 / **NREGS-MP** / **NR-6** / 2009 भोपाल, दिनांक 03 / 08 / 2009

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त संभाग रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत – ....म. प्र. (समस्त 50 जिलें) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उपायुक्त (विकास) संभागायुक्त कार्यालय रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर चंबल और सागर संभाग की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद